रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122021-232266
CG-DL-E-30122021-232266

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 742] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 30, 2021/पौष 9, 1943
No. 742] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 2021/PAUSA 9, 1943

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2021

सा.का.नि. 916(अ).— केंद्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्यों की सरकारों से परामर्श करने के पश्चात्, भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम 3 के उपनियम (1) में, टिप्पण 3 के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 से पहले, निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**टिप्पण 4—**सेवा का सदस्य, वेतन मैट्रिक्स में वेतन के अगले स्तर में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु, पिछले वर्ष के लिए अचल संपत्ति विवरणी (आईपीआर), इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर, अर्थात् 31 जनवरी तक, फाइल करेगा :

परंतु सेवा का सदस्य, जिसने भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2021 के प्रवृत्त होने से पूर्व किसी वर्ष का आईपीआर फाइल नहीं की है, वेतन मैट्रिक्स में वेतन के अगले स्तर में नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए, जैसा कि इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकथित किया जा सके, ऐसी अवधि के भीतर उसे फाइल करेगा।"।

[फा. सं. 11030/06/2021-ए.आई.एस.-2(सी)]

मनमीत कौर, उप सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 924(अ), तारीख 28 सितंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 573(अ), तारीख 12 जून, 2017 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2021

G.S.R. 916(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2016, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Forest Service (Pay), Amendment, Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2016, in rule 3, in sub-rule (1), after **Note 3** and before the *Explanation 1*, the following Note shall be inserted, namely:-

"**Note 4.-** A member of the service shall file Immovable Property Return (IPR) for the previous year within the time frame specified for the purpose, i.e. 31st January, for being considered for appointment in the next level of pay in the pay matrix:

Provided that a member of service, who has not filed the IPR for any of the year prior to coming into force of the Indian Forest Service (Pay), Amendment, Rules, 2021, shall file the same within such period, as may be laid down by the Central Government in this behalf, for being considered for appointment in the next level of pay in the pay matrix.".

[F. No. 11030/06/2021-AIS-II (C)]

MANMEET KAUR, Dy. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number G.S.R. 924 (E), dated the 28th September, 2016 and last amended *vide* notification number G.S.R. 573 (E), dated the 12th June, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA